पत्रांक–वन भूमि–16 / 2016........................ / प0व0

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा0व0से0
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002.

पटना–15, दिनांक–..............................

विषय :– पटना वन प्रमंडल के क्षेत्राधीन मे० अल्ट्राटेक सीमेंट लि० कम्पनी द्वारा SH-4 पथ के किनारे फतुहा–इस्लामपुर रेलवे लाईन के उपरी पुल (आर०ओ०बी०) निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.77 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव मे० अल्ट्राटेक सीमेंट लि० (युनिट–पाटलिपुत्रा सीमेंट वर्क्स), पो०–शांहजहाँपुर, (दनियावाँ), जिला–पटना, (बिहार), पिन–801305 द्वारा समर्पित किया गया है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पत्र सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है। पहुँच पथ के निर्माण के क्रम में 0.77 हे० वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है। प्रस्तावित स्थल पर पातित होने वाली वृक्षों की संख्या–शून्य है तथा वानस्पतिक घनत्व 0.0 अंकित किया गया है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.77 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 4,82,020/– (रूपये चार लाख बेरासी हजार बीस) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. हरितावरण को बनाये रखने के लिये 50 वृक्षों के लौह गैबियन वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक इसके रख–रखाव के लिये आवश्यक राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक दर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

प्रस्ताव की एक प्रति (मूल रूप में) संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक : वन भूमि–16/2016........................./प0व0, पटना–15, दिनांक...

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार/मे० अल्ट्राटेक सीमेंट लि० (युनिट–पाटलिपुत्रा सीमेंट वर्क्स), पो०–शांहजहाँपुर, (दनियावाँ), जिला–पटना, (बिहार), पिन–801305 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(अरविन्दर सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक : वन भूमि–16/2016 331 (8) /प0व0, पटना–15, दिनांक 02/06/16

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करने एवं पार्ट–2 उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

PART-V

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

17. Recommendation of the State Government.

(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon).

Recommended with conditions

Date : ________________
Place : ________________

30/5/16

Signature
Name & Designation
(Official Seal)

1/1